

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

दिनांक:- 3/10/2025

क्रमांक:-भू.अ./2025/7

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील-बस्सी, जिला-चित्तौडगढ

ग्राम पंचायत, अमरपुरा, दिनांक 3/10/25

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री केशव मित्त/पति श्री रामचन्द्र निवासी पालना पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम सुरपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में केशव मित्त/पति श्री रामचन्द्र जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम केशव मित्त/पति श्री रामचन्द्र दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम केशव मित्त/पति श्री रामचन्द्र का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।


तहसीलदार (भू.अ.)
बस्सी
चित्तौडगढ (राज.)
जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

दिनांक:- 6/10/2025

क्रमांक:-रीडर/2025/768

निमित्त,

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री केशव मित्त/पति श्री रामचन्द्र निवासी पालना पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 8 में जाति/नाम केशव मित्त/पति श्री रामचन्द्र दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री केशव मित्त/पति श्री रामचन्द्र की जाति/नाम केशव मित्त/पति श्री रामचन्द्र एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री कडुवाई मित्त/पति श्री रामचन्द्र रेगल

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री कडुवाई पिता/पति श्री रामचन्द्र रेगल निवास पारस क/की हूँ/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम पुरापुरा में खाता संख्या 10 किता 10 रकबा 3.64 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम कडुवाई मित्त/पति श्री रामचन्द्र रेगल दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में कडुवाई मित्त/पति श्री रामचन्द्र रेगल दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम कडुवाई पिता/पति श्री

के बजाय रेगल पिता/पति श्री

दर्ज करवाने की कृपा करावे।
दिनांक 5 / 10 / 2025

कडुवाई
हस्ताक्षर
प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री कडुवाँ मित्त/पति श्री रामचन्द्र रेगल निवासी पारस के राजस्व ग्राम पुरापुरा पटवार हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में कडुवाई मित्त/पति श्री रामचन्द्र रेगल दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

कडुवाँ
पटवारी

पटवार महल कडुवाँ
तहसील, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

कडुवाँ
हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर 03.10.25